

**उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनःअधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974**  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 22 सितम्बर, 1974 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 25 सितम्बर, 1974 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का निरसन करने और कतिपय परिष्कारों के साथ उसे पुनः अधिनियमित करने और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

**अधिनियम**

**भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-**

**अध्याय-1**

**प्रारम्भिक**

**1-**यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम**

**अध्याय 2**

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन**

**2-**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) एतद्वारा निरसित किया जाता है और धारा 3 से 18 में दिये गये परिष्कारों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है।

**राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या 10, 1973 का निरसन और परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन**

**3-**मूल अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, और वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।

**शीर्षक और उद्देशिका का संशोधन**

**4-**मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) में, खण्ड (ख) निकाल दिया जाय।

**धारा 1 का संशोधन**

**5-**मूल अधिनियम को धारा 2 में—

**धारा 2 का संशोधन**

(1) खण्ड (4) में, शब्द "इस अधिनियम" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों" रख जायें।

(2) खण्ड (18) में, शब्द "विश्वविद्यालय या किसी घटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा शिक्षण अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए" के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय या किसी घटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन" के लिए रख दिये जायें।

**6-**मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:-

**धारा 4 का संशोधन**

"(1-क) ऐसी तारीख या तरीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे,

(क) झांसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय; और

(ग) बरेली में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय;

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए स्थापित किये जायेंगे।

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक, पद धारण करेंगे;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।”

7—मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) में, शब्द तथा अंक “धारा 10 के अधीन” के स्थान पर शब्द तथा अंक “धारा 10 तथा 68 के अधीन” रख दिये जायें। **धारा 13 का संशोधन**

8—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, शब्द “कुल सचिव, उप—कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के पदों पर” के स्थान पर शब्द “कुल सचिव, उप—कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव को प्रशासनिक पदों पर” रख दिये जायें। **धारा 17 का संशोधन**

9—मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख ही जाय, अर्थातः— **धारा 20 का संशोधन**

“(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष और उसके खण्ड (च) और (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी”।

10—मूल अधिनियम की धारा 22 को उपधारा (1) में, वर्ग 6, खण्ड (XIII) निकाल दिया जाय। **धारा 22 का संशोधन**

11—मूल अधिनियम की धारा 27 में— **धारा 27 का संशोधन**

(क) उपधारा (4) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थातः—

“परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य यथास्थिति मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा।”

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थातः—

“(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी:

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण किये रहेगा जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्ण धारण किये हो।”

**12—मूल अधिनियम की धारा 31 में—**

**धारा 31 का संशोधन**

(1) उपधारा (4) के खण्ड (घ) में, विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

“परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हो, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी;”

(2) उपधारा (5) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“(घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामलों में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति से अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायगा।”

(3) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्:—

(7—क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि यह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।”

**(4) उपधारा (11) में—**

(क) शब्द “भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालय की दशा में” के स्थान पर शब्द “ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को दशा में (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हों)” रख दिये जाय;

(ख) उपखण्ड (ii) में शब्द “अधिनियम और परिनियमों” के स्थान पर शब्द “इस अधिनियम” रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

**13—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) में, शब्द “और उनके द्वारा धारण किये जाने वाले पारिश्रमिक पद यही होंगे जो विहित किये जायें” के स्थान पर शब्द “वही होंगी जो विहित की जाएं” रख दिये जायें।**

**धारा 34 का संशोधन**

**14—मूल अधिनियम की धारा 49 में, खण्ड (ण) में, शब्द “जिनके अन्तर्गत और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण भी है”, के स्थान पर शब्द “जिनके अन्तर्गत उनके द्वारा अपनी विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम भी है” रख दिये जायें।**

**धारा 49 का संशोधन**

15—मूल अधिनियम को धारा 50 में,

धारा 50 का  
संशोधन

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा हो जाय, अर्थात् :-

“(1-क) राज्य सरकार ऐसे परिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हो, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो।”

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:-

“(2) कार्य परिषद्, प्रथम परिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि को समाप्ति के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।”

16—मूल अधिनियम की धारा 72 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:-

नयी धारा 72—क  
का बढ़ाया जाना

“72—(क)—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काशी विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उसके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अवधि के सिवाय उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नई नियुक्तियों न कर दी जायें, इस रूप में उसी प्रकार पद धारण करता रहेगा जिन पर कि यह उक्त तारीख को धारण कर रहा था;

काशी विद्यापीठ  
के संबंध में  
अस्थायी उपबन्ध

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी. और उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी, जिसे वह उचित समझे, ऐसा होने पर खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्सम अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्सम प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेंगी कि खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों— तथा सदस्यों को अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।”

17—मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (3) में—

धारा 74 का  
संशोधन

(1) खण्ड (क) निकाल दिया जाय;

(2) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायें, अर्थात्:—

“(छ) वाराणसी जिले में स्थित काशी नरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री कालेज, जखनी अथवा देहरादून जिले में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को जो—”

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था; या

(2) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए विद्या वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रदिष्ट था; या

(3) वर्ष 1974 में, या भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 1975 में, उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो।

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विवरण के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जाएगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(ज) जब तक कि धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में संकायों का गठन न हो जाय, धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) प्रबन्धतंत्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(2) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य, और

(3) तीन विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।”

**18—मूल अधिनियम को अनुसूची में, क्रम-संख्या 3,4,5,6,7 और 8 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जाये, अर्थात्:—**

**अनुसूची का संशोधन**

“3—आगरा विश्वविद्यालय—

(1) रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय को स्थापना होने तक। आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, बदायूं, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहांपुर जिले।

(2) रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर। आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी तथा मथुरा जिले।

4—गोरखपुर विश्वविद्यालय—

(1) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक। आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा वाराणसी जिले।

- (2) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर। आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी जिले।

5—कानपुर विश्वविद्यालय—

- (1) बुन्देलखण्ड और अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना होने तक। इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर—खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।

- (2) बुन्देलखण्ड और अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाने पर। इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, इटावा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर—खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।

- (6) मेरठ विश्वविद्यालय बुलन्दशहर, मेरठ, मुज्जफरनगर तथा सहारनपुर जिले।

- (7) कुमायूं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिले।

- (8) गढ़वाल विश्वविद्यालय चमोली, देहरादून, गढ़वाल, टिहरी—गढ़वाल तथा उत्तर काशी जिले।

- (9) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी तथा ललितपुर जिले।

- (10) अवध विश्वविद्यालय बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले।

- (11) रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहांपुर जिले।

### अध्याय 3

#### उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, दीर्घ शीर्षक में, शब्द “एक कृषि विश्वविद्यालय” के स्थान पर शब्द “कृषि विश्वविद्यालयों को” और उद्देशिका में, शब्द “एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय” के स्थान पर शब्द “कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किये जायें” रख दिये जायें।

20—मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में शब्द “उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम” के स्थान पर शब्द “उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम” रख दिये जायें।

उ0प्र.0 अधिनियम संख्या 45, 1958 के दीर्घ शीर्षक तथा उद्देशिका का संशोधन धारा 1 का संशोधन

धारा 1 का संशोधन

**21—**मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

“(ठ) ‘विश्वविद्यालय’ का तात्पर्य, यथास्थिति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अथवा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अथवा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से है।”

**22—**मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

“**2—क(1)** इस धारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व पंतनगर में विद्यमान गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें (जिसे आगे नियत दिनांक कहा गया है)—

(1) फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय की जो नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा, और जायेगी।

(2) कानपुर में एक विश्वविद्यालय की जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा, स्थापना की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में—

(क) राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) विश्वविद्यालयों के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा गठित प्राधिकारियों के सदस्य यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।”

**23—**मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

“(1) कुलाधिपति, कुलपति और बोर्ड तथा विद्वत् परिषद् के सदस्यों से जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में तत्समय पर धारण कर रहे हों, उस विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संकाय गठित होगा।”

**24—**मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“**6—क** प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के संबंध में धारा 6 के अधीन कतिपय प्रयोजनों से लिये क्षेत्रीय अधिकारिता विश्वविद्यालय के अधिकारों का प्रयोग अनुसूची में प्रत्येक के सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में किया जा सकेगा।”

**धारा 2 का संशोधन**

**नई धारा 2—क का बढ़ाया जाना**

**फैजाबाद तथा कानपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना**

**धारा 3 का संशोधन**

**नई धारा 6—क का बढ़ाया जाना**

**कतिपय प्रयोजनों के लिये क्षेत्रीय अधिकारिता**

25—मूल अधिनियम की धारा 35 निकाल दी जाय।

धारा 35 का  
निकाला जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जाय, अर्थात् :-

अनुसूची का  
बढ़ाया जाना

क्रम- संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	1—गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय—  (क) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।  (ख) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश  कुमायूँ, गढ़वाल, रुहेलखण्ड और मेरठ डिवीजन।
2	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन
3	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	लखनऊ, झांसी, आगरा और इलाहाबाद डिवीजन।

27—मूल अधिनियम में जहां-जहां शब्द “कुलपति (Chancellor)”, “उपकुलपति (Vice-Chancellor)” और “रजिस्ट्रार (Registrar)” प्रयुक्त हो, वहां-वहां क्रमशः शब्द “कुलाधिपति (Chancellor)”, “कुलपति (Vice-Chancellor)” तथा कुल सचिव (Registrar)” रख दिये जायं।

सामान्य संशोधन

#### अध्याय 4

##### अस्थायी उपबन्ध

28—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को, विशिष्टतः, बुन्देलखण्ड, अवध, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालयों अथवा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कृत्य के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि अध्याय 2 तथा 3 में निदिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध ऐसे कालावधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

कठिनाइयों को  
दूर करना

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

---

### उद्देश्य और कारण

1—सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक डिवीजन में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो। तदनुसार वह यह प्रस्ताव है कि रुहेलखण्ड, फैजाबाद तथा बुन्देलखण्ड डिवीजनों में से प्रत्येक डिवीजन में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय।

2—राष्ट्रपति का अधिनियम होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1971 को अवधि सोमित है, और उसे राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करता है। अतएव, यह स्थापना है कि उक्त अधिनियम को निरसित तथा आवश्यक परिष्कारों के साथ पुनः अधिनियमित किया जाय।

3—फैजाबाद तथा कानपुर, दोनों ही स्थानों पर एक-एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के निमित्त व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 को भी संशोधित करने की प्रस्थापना है।

4—इस अवसर का लाभ उक्त अधिनियमों में कतिपय छोटे-मोटे संशोधन करने के लिए भी उठावा आ रहा है।

5—तदनुसार उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) विधेयक, 1974 पुरःस्वापित किया जाता है।